अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

अध्याय 4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ अपने वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहारों में राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार, वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ उस अनुपालन की स्थिति पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदन सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और संक्रियात्मक हो, तो रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 गैर-बजट उधार

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) एवं विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) द्वारा गैर-बजट उधार या तो स्पष्ट भुगतान या प्रत्याभूतियाँ होते हैं, और ये राज्य के आकस्मिक दायित्व होते हैं। राज्य द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 2022-23 के दौरान राज्य के पी.एस.यू./ एस॰पी.वी. द्वारा ऐसी कोई गैर-बजट उधारी नहीं की गई।

4.2 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षत: हस्तांतरित धनराशि

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त धन/कोष हस्तांतरित करती है।

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को, जिन्हें महत्वपूर्ण माना गया, सीधे वृहत मात्रा में निधि हस्तांतरित की थी। जैसा कि इन निधियों को राज्य के बजट/राज्य कोषागार प्रणाली में नहीं लिया गया था, इन निधियों के व्यय के प्रवाह को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जा सका। इस प्रकार, उस सीमा तक, वित्त लेखे से लिए गए राज्य की प्राप्तियों तथा व्यय के साथ-साथ अन्य राजकोषीय चर/मापदंड सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते।

2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित समस्त सहायता को राज्य के संचित निधि के द्वारा जारी करने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यकारी एजेंसी को निधि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में 2013-14 में ₹ 2,601.80 करोड़ के सापेक्ष 2014-15 में

₹ 130.92 करोड़ की कमी आई। हालाँकि, बाद के वर्षों में कार्यकारी एजेंसी को प्रत्यक्ष हस्तांतरित निधि का भाग सतत रूप से बढ़ता रहा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत, ₹ 3,698.57 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह कुल राजस्व प्रप्तियों (₹ 80,245 करोड़) और राजस्व व्यय (₹ 66,682 करोड़) का क्रमश: 4.61 और 5.55 प्रतिशत था। राज्य की संचित निधि के बिना अंतरित निधियों को कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण, न केवल उस सीमा तक राज्य के बजट और व्यय को संकुचित किया (₹ 3,698.57 करोड़), बल्कि यह भी निहित है कि बनाई गई संपत्ति और लोगों के लिए विस्तारित लाभों की लागत राज्य के खातों में परिलक्षित नहीं हुए।

वर्ष 2022-23 के दौरान, ऐसे योजनाओं के मामलों में जहाँ सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि हस्तांतरित कर दी गई थी, उनमें जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय पेयजल मिशन, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, एम.पी.एल.ए.डी. आदि योजनाएँ शामिल थीं।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित धनराशि/निधि का विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई निधि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार के योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2022-23 में भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	जल जीवन मिशन	झारखण्ड राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन	2,119.14
2	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग	1,358.81
3	सामर्थ्य- लिंग बजट शोध कौशल प्रशिक्षण	महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा	29.27
4	एमपीएलएडी	उपायुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट	67.00
5	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	मवेशी तथा भैसा विकास के लिए झारखण्ड राज्य कार्यकारी एजेंसी	15.00
6	अन्य	विभिन्न एजेंसियाँ	109.35
कुल			**3,698.57**

स्रोत: राज्य लेखा (2022-23) के लिए लेखा-महानियंत्रक के सार्वजनिक/ लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल

चूँकि, ये धनराशि राज्य के बजट के माध्यम से नहीं गुजरती है, अतः ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती है। ये स्थानांतरण वित्त लेखों के खंड II के परिशिष्ट VI में दिखाए जाते हैं।

4.3 स्थानीय निकाय निधि जमा

राज्य पंचायती राज अधिनियमों में प्रावधान है कि जिला परिषद (जि.प.) पंचायत समिति (पं.स.) और ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) क्रमश: जि.प. निधि, पं.स. निधि और ग्रा.पं निधि (मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत स्थानीय निधियों की जमा - 109-पंचायत निकाय निधियों के अंतर्गत) का संधारण करेगी जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और पी.आर.आई. द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन शामिल होंगे, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और स्वयं का राजस्व, जिसमें कर और पंचायत की गैर-कर प्राप्तियाँ शामिल है। अधिनियमों में यह भी परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका कोष नगरपालिका द्वारा संधारित किया जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और नगर पालिकाओं द्वारा प्राप्त अन्य सभी धन नगरपालिका निधि में प्रमुख शीर्ष '8448-स्थानीय निधियों का जमा-102-नगरपालिका निधि' के तहत रखा जाता है। विवरण **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: स्थानीय निकाय निधि जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पंचायती राज संस्थाएँ	(8448-109)	प्रारंभिक शेष	309.67	364.38	338.12	351.01	332.12
		प्राप्तियाँ	128.99	124.60	100.19	90.78	211.26
		व्यय	74.28	150.86	87.30	109.67	91.04
		अंत शेष	**364.38**	**338.12**	**351.01**	**332.12**	**452.33**
शहरी स्थानीय निकाय	(8448-102)	प्रारंभिक शेष	1,870.03	1,959.09	2,077.75	2,341.87	1,463.14
		प्राप्तियाँ	915.05	1,252.93	1,204.29	543.41	656.50
		व्यय	825.99	1,134.27	940.17	1,422.14	862.14
		अंत शेष	**1,959.09**	**2,077.75**	**2,341.87**	**1,463.14**	**1,257.49**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, इन लेखा शीर्षों से यू.एल.बी और पी.आर.आई. द्वारा किया गया व्यय वर्ष 2018-23 तक की अवधि के दौरान, वर्ष 2021-22 को छोड़कर, प्राप्तियों की तुलना में बहुत कम था। सरकार के द्वारा प्रदान की गयी निधि में 2021-22 के बाद अत्यधिक कमी आई, जो केंद्र सरकार से अनुदान (मूल अनुदान) के कम प्राप्तियो के कारण था।

4.4 उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.) में प्रावधान है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदान ग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए और

सत्यापन के बाद अनुदान के आहरण के 12 महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड को अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक दिए गए अनुदान के संबंध में देय कुल ₹ 1,16,153.09 करोड़ के 43,469 उ.प्र.प.[1] मार्च 2023 के अंत तक बकाया थे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान, ₹ 19,629.95 करोड़ और ₹ 22,194.05 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से क्रमश: ₹ 5,358.62 करोड़ और ₹ 6,051.88 करोड़ की राशि पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए निकायों और प्राधिकरणों को दी गई थी। हालाँकि, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के संबंध में उ.प्र.प. अधिकारियों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक महत्वपूर्ण भाग पाँच विभागों के विरूद्ध बकाया था, जो **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: प्रमुख अनुदानों के संबंध में बकाया उ.प्र.प.

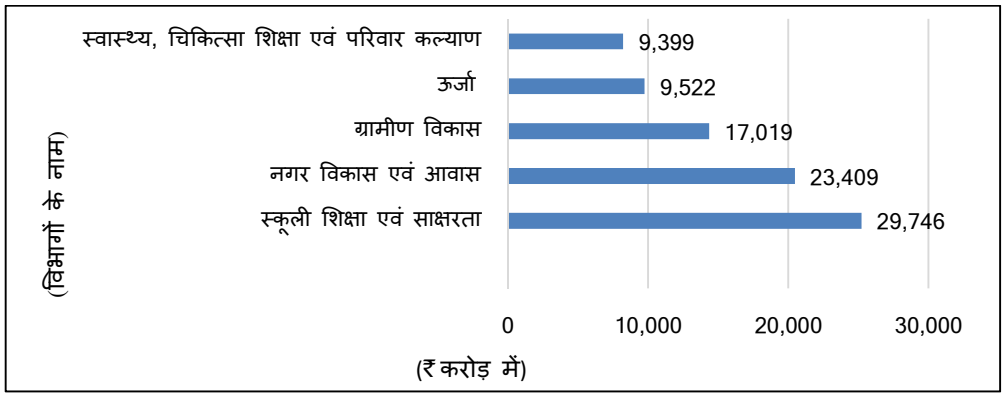

31 मार्च 2023 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (उ.प्र.प.) की संख्या और राशि **तालिका 4.3** में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 4.3: उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण का बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		समाशोधन		विलंब प्रस्तुति	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19 तक	46,502	91,661.70	8,699	36,980.77	740	6,393.31	54,461	1,22,249.16
2019-20	29,358	69,702.99	4,749	18,734.70	90	390.21	34,017	88,047.48
2020-21	34,017	88,047.48	5,075	15,806.55	28	394.89	39,064	1,03,459.14
2021-22*	39,064	1,03,459.14	5,194	13,979.67	789	1,285.72	43,469	1,16,153.09

**2021-22 के दौरान संवितरित किए गए सहायता अनुदान के लिए उ.प्र.प. 2022-23 के अवधि के लिए देय हुए।*

बकाया उ.प्र.प. की संख्या और राशि का वर्षवार ब्यौरा **तालिका 4.4** में दिया गया है।

[1] *महालेखाकार (ले. एवं हक़.) के लेखो में समाशोधन हेतु लंबित।*

तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	राशि
2012-13 तक	3606	2,350.42
2013-14	1320	1,504.44
2014-15	2103	5,307.97
2015-16	8684	9,129.92
2016-17	4798	14,289.08
2017-18	3931	18,583.16
2018-19	4384	16,618.85
2019-20	4603	18,639.46
2020-21	4846	15,750.12
2021-22	5194	13,979.67
कुल	**43469**	**1,16,153.09**

**2021-22 के दौरान संवितरित किए गए सहायता अनुदान के लिए उ.प्र.प. 2022-23 के अवधि के लिए देय हुए।*

सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति, वांछित उद्देश्य के लिए अनुदानों के उपयोग को समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के, विभागीय अधिकारियों की नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता को इंगित करती है। उ.प्र.प. के अधिक लम्बित होने से धन के गबन और धोखाधड़ी का जोखिम रहता है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने का कारण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

4.5 अनुदान के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

जे.टी.सी. में वर्णित है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त किया जाना है और सत्यापन के पश्चात, अनुदान निकासी के दिन से 12 महीने के भीतर प्रधान महालेखाकर (लेखा व हकदारी) झारखण्ड को अग्रेषित करना है।

31 मार्च 2023 तक अनुदान संख्या 01- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रो की संख्या एवं राशि **तालिका 4.5** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.5: अनुदान संख्या-01 में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	वर्ष	कुल विमुक्त अनुदान		समायोजित		कुल बकाया	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2401	2020-21 तक	4	6.50	2	3.85	2	2.65
	2021-22	12	73.70	0	0	12	73.70
2415	2020-21 तक	6	15.87	6	15.87	0	0
	2021-22	8	116.07	7	114.60	1	1.47
कुल		**30**	**212.14**	**15**	**134.32**	**15**	**77.82**

स्रोत: प्र. महालेखाकार (ले.एवं ह.) का कार्यालय, झारखण्ड

इसके अलावा, तीन एजेंसियों को प्रदान किए गए अनुदान की नमूना-जाँच से पता चला कि ₹ 10.50 करोड़ में से, ₹ 7.48 करोड़ 2020-21 के दौरान व्यय किए गए थे। केवल ₹ 0.21 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) के कार्यालय में जमा किया गया था। इसके अलावा, ₹ 3.02 करोड़ की शेष राशि व्यक्तिगत बही खातों (पीएलए) में जमा की गई थी जैसा कि **तालिका 4.6** में दिखाया गया है।

तालिका 4.6: लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रो की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष	सहायता अनुदान की राशि	31.03.23 को व्यय की स्थिति	शेष	टिप्पणी
1	झारखण्ड राज्य कृषि विकाश निगम लिमिटेड (जेएसएडीसीएल)	2020-21	1.15	0.21	0.94	₹ 0.21 करोड़ के व्यय के विरुद्ध उ.प्र.प. महालेखाकार (ले. एवं ह.) को भेजे गए थे और शेष राशि ₹ 0.94 करोड़ पीएलए में जमा की गई थी।
2	झारखण्ड कृषि उपकरण परीक्षण तथा प्रशिक्षण केंद्र (जेएएमएमटीएस)	2020-21	1.35	1.35	0.00	प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) को उपयोगिता प्रमाणपत्र समर्पित नहीं किया गया।
3	झारखण्ड कृषि तथा मृदा प्रबंधन संस्था (जेएएमएमआईएस)	2020-21	8.00	5.92	2.08	₹ 5.92 करोड़ के व्यय के विरुद्ध उ.प्र.प. महालेखाकार (ले. एवं ह.) को नहीं भेजे गए थे और ₹ 2.08 करोड़ की शेष राशि पीएलए में रखी गई थी।
कुल			**10.50**	**7.48**	**3.02**	

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 2021-22 तक भुगतान किए गए कुल ₹ 2,302.56 करोड़ अनुदान के संबंध में, मार्च 2023 तक 117 उ.प्र.प. बकाया थे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विविरण **तालिका 4.7** में दिया गया है।

तालिका 4.7: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	विभाग द्वारा जारी अनुदान		प्रस्तुत की गईं उ.प्र.प.		बकाया उ.प्र.प.	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2215	2020-21 तक	15	339.68	03	0.66	12	339.02
	2021-22	51	544.43	शून्य	शून्य	51	544.43
	2022-23	45	16.84	शून्य	शून्य	45	16.84
4215	2020-21 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2022-23	9	1402.27	शून्य	शून्य	09	1402.27
कुल		**120**	**2303.22**	**03**	**0.66**	**117**	**2302.56**

इतनी लंबी अवधि के लिए उ.प्र.प. का लम्बित होना न केवल अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र और विभाग की खराब निगरानी का सूचक था, बल्कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम को भी दर्शाता है।

4.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.), 2016 यह निर्धारित करता है कि जब बिना संलग्न वाउचर के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर कोषागार से अग्रिम के रूप में आकस्मिक निधि आहरित की जाती है, तो उप-वाउचर से समर्थित और नियंत्रक अधिकारी (सी.ओ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र को ए.सी. विपत्र के आहरण की तिथि से छः माह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 31.03.2023 तक लंबित डी.सी. विपत्रों की वर्ष-वार विवरण **तालिका 4.8** में दी गयी है।

तालिका 4.8: ए.सी. विपत्रों के विरूद्ध डी.सी. विपत्रों के जमा करने की वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित ए.सी. विपत्र		जमा डी सी विपत्र		शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2000-2001	1,331	149.96	480	84.83	851	65.13
2001-2002	5,493	506.18	2,970	322.31	2,523	183.87
2002-2003	3,846	408.07	2,461	306.78	1,385	101.29
2003-2004	7,640	619.55	5,547	506.17	2,093	113.38
2004-2005	6,664	1,171.01	5,111	1,018.90	1,553	152.11
2005-2006	6,145	1,084.18	4,967	872.95	1,178	211.23
2006-2007	6,053	1,502.66	4,791	1,222.93	1,262	279.73
2007-2008	6,862	1,796.19	5,638	1,367.63	1,224	428.56
2008-2009	4,747	2,937.18	3,540	2,408.94	1,207	528.24
2009-2010	2,087	996.69	1,122	724.96	965	271.73
2010-2011	1,891	824.63	896	593.37	995	231.26
2011-2012	1,077	1,611.15	608	1,439.13	469	172.02
2012-2013	545	924.98	351	774.00	194	150.98
2013-2014	468	666.82	265	602.94	203	63.88
2014-2015	550	721.23	290	469.62	260	251.61
2015-2016	806	1,224.90	408	863.02	398	361.88
2016-2017	459	1,267.80	206	1,004.00	253	263.80
2017-2018	335	1,209.12	124	986.18	211	222.94
2018-2019	243	1,061.32	88	890.08	155	171.24
2019-2020	330	2,168.00	114	1,940.87	216	227.13
2020-2021	357	1,911.16	75	1,231.88	282	679.28
2021-2022	246	2,668.28	52	1,961.37	194	706.91
2022-23*	151	302.17	7	25.67	144	276.50
कुल	**58,326**	**27,733.24**	**40,111**	**21,618.53**	**18,215**	**6,114.71**

** सितंबर 2022 तक आहरित किए गए के एसी विपत्रों को लिया गया है।*

राज्य के ग्यारह विभागों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 357 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर ₹ 595.44 करोड़ आहरित किए। सितंबर, 2022 तक 357 ए.सी. विपत्रों में से ₹ 302.17 करोड़ के 151 ए.सी. विपत्र की निकासी की गयी थी, जिनके जमा करने की नियत तिथि मार्च, 2023 थी। 151 ए.सी. विपत्र के विरुद्ध केवल ₹ 25.67 करोड़ के सात डी.सी विपत्र देय तिथि पर जमा

किए गए तथा ₹ 276.50 करोड़ के शेष 144 ए.सी. विपत्र जमा करने के लिए लंबित रह गए।

इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 276.50 करोड़ की शेष राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस उद्देश्य के लिए व्यय की गई है, जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। यह वर्ष के दौरान का व्यय उक्त स्तर तक संभावित अत्योक्ति हो सकता है।

इस प्रकार, सितम्बर, 2022 तक आहरित ₹ 6,114.71 करोड़ राशि के 18,215 ए.सी. विपत्र भी 31 मार्च, 2023 तक बकाया थे। अग्रिमों के आहरण और लेखों में नहीं लिए जाने से अपव्यय/दुरुपयोग/कदाचार आदि की संभावना बढ़ जाती है।

2022-23 में आहरित कुल ए.सी. विपत्रों में से ₹ 268.89 करोड़ के 198 ए.सी. विपत्रों को मार्च 2023 में आहरित किया गया था। मार्च में, ए.सी. विपत्र के माध्यम से व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट को निःशेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

अधिकतम लंबित राशि वाले विभागों का डी.सी. विपत्रों के साथ तुलनात्मक विवरण **चार्ट 4.2** एवं **तालिका 4.9** में दिया गया है।

चार्ट 4.2: प्रमुख विभागों के संदर्भ में लंबित डी.सी. विपत्र

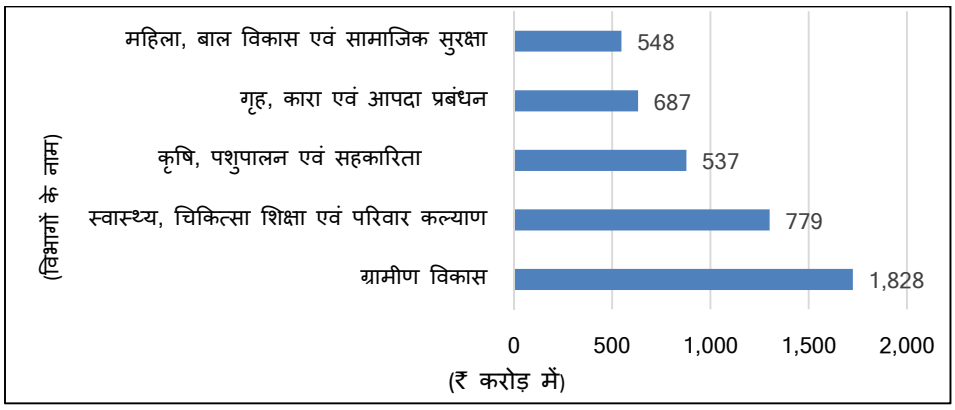

तालिका 4.9: पाँच प्रमुख विभागों में लंबित डी.सी. विपत्रों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग		स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग		कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग		महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग		गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2000-2001	272	15.85	68	0.03	3	0.00	0	0.00	57	0.11
2001-2002	297	29.43	465	11.74	159	0.70	352	12.66	205	4.64
2002-2003	218	40.45	208	2.67	134	2.81	183	14.37	131	2.84
2003-2004	206	38.90	65	5.07	105	1.56	657	26.12	215	8.28
2004-2005	163	53.86	103	26.78	102	0.89	331	20.03	102	7.19
2005-2006	101	51.14	101	20.12	98	9.06	197	51.04	136	3.42
2006-2007	109	35.36	136	47.99	66	8.80	206	87.39	140	6.02
2007-2008	184	33.97	107	115.86	58	12.91	191	64.71	90	2.64
2008-2009	205	54.50	62	43.16	56	47.35	207	54.48	147	10.22

वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग		स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग		कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग		महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग		गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2009-2010	188	54.90	49	64.02	18	1.08	295	45.53	142	22.77
2010-2011	181	82.27	5	0.11	20	2.04	333	37.67	68	30.75
2011-2012	97	63.79	13	0.42	39	5.66	41	5.06	32	7.88
2012-2013	85	79.55	3	0.10	9	6.95	26	30.12	6	0.16
2013-2014	106	30.30	16	11.89	5	1.85	10	0.18	6	0.56
2014-2015	138	121.07	7	17.27	7	2.47	7	0.09	13	33.77
2015-2016	195	160.47	16	27.02	80	16.51	10	83.72	29	31.08
2016-2017	114	43.53	8	3.47	16	4.72	0	0.00	20	29.12
2017-2018	117	43.87	3	2.28	8	2.01	0	0.00	24	35.89
2018-2019	116	43.06	3	4.44	1	0.00	1	0.45	8	45.10
2019-2020	127	70.02	0	0.00	4	7.02	0	0.00	64	123.37
2020-2021	239	140.46	4	234.03	7	23.74	1	0.15	15	191.20
2021-2022	149	192.13	23	12.39	7	378.61	5	14.16	2	5.70
2022-2023	309	349.68	27	128.04	0	0.00	0	0.00	5	84.00
कुल	**3916**	**1,828.56**	**1492**	**778.90**	**1002**	**536.74**	**3053**	**547.93**	**1657**	**686.71**

जैसा कि **तालिका 4.9** से देखा जा सकता है, 2000-01 से आहरित ए.सी. विपत्र इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद समाशोधन के लिए लंबित थे, यह एक गंभीर अनियमितता है और सरकारी धन के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है।

4.7 डीसी विपत्रों का अप्रस्तुतिकरण

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 186 एवं 187 के अनुसार, नियंत्री अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और उप-अभिश्रव के साथ समर्थित डीसी विपत्र, ए.सी. विपत्रों के निकासी से छह महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस अवधि की सामाप्ति के बाद कोई आकस्मिक विपत्र पर निकासी तब तक नहीं की जा सकती जब तक विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाये।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार, अनुदान संख्या 01- कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) में ₹ 2,571.44 करोड़ के ए.सी. विपत्रों में से कुल ₹ 403.66 करोड़ 2003-04 से 2016-17 की अवधि के दौरान निकाले गए, जो सितम्बर 2023 तक शीर्ष 2401, 2402, 2415 और 4401 के तहत जमा करने के लिए लंबित थे। विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है।

नमूना-जाँच किये गये जिलों में विभाग के लंबित डीसी विपत्रो की नमूना-जाँच से निम्नलिखित पता चला:

(i) 2008-09 के दौरान ₹ 3,05,54,000.00 [2] (₹ 1,81,89,000 और ₹ 1,23,65,000) निकासी की गयी और 10 महीने के बाद परियोजना

[2] *चेक संख्या 335048 के द्वारा दिनांक 27.01.2010*

प्रबंधक, आत्मा, पलामू को हस्तांतरित कर दिए गए, जिसमें से ₹ 2,74,72,274.00 व्यय किया गया और शेष राशि ₹ 30,81,726.00 बैंक खाते में जमा कर दी गई।

(ii) जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी (डीएससीओ), पलामू द्वारा 'बंजर भूमि और परती भूमि के विकास' के लिए एसी विपत्र पर ₹ 21,40,000.00 निकाले गए (31.03.2012)। इसमें से ₹ 20,70,000.00 भू-संरक्षण पदाधिकारी (एससीओ), पलामू को हस्तांतरित[3] (20.04.2012) कर दिया गया। एससीओ, पलामू को हस्तांतरित राशि (₹ 20,70,000.00) की विस्तृत व्यय रिपोर्ट/अद्यतन स्थिति डीएससीओ के पास उपलब्ध नहीं थी।

(iii) जेटीसी के नियम 168 के अनुसार, 'आकस्मिक शुल्क' या 'आकस्मिक व्यय' शब्द का अर्थ है और व्यय के किसी अन्य मद के अंतर्गत आते हैं जैसे 'कार्य', 'स्टॉक', 'उपकरण एवं संयंत्र' आदि के अलावे इसमें वे सभी आकस्मिक और अन्य व्यय शामिल हैं जो व्यय के वर्गीकरण के निर्धारित नियमों के तहत किसी कार्यालय के प्रबंधन के लिए किए जाते हैं।

अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि, जिला कृषि पदाधिकारी, साहिबगंज द्वारा पूँजीगत कार्य अर्थात संयुक्त जिला कृषि भवन, साहिबगंज के निर्माण के लिए एसी विपत्र पर ₹ 1,16,33,720 की निकासी की गई (08.12.2016) और विशेष प्रभाग, साहिबगंज को हस्तांतरित कर दिया गया जो जेटीसी के नियम के विरुद्ध था।

(iv) 'सिंगल विंडो ऑपरेशन' के लिए जिला कृषि पदाधिकारी, साहिबगंज द्वारा एसी विपत्र पर ₹ 75,00,000.00 निकाले गए (24.10.2016) जिसमें से ₹ 46,64,836.00 की राशि का डीसी विपत्र जमा किया गया (07.12.2018) और शेष राशि ₹ 28,35,164.00 को बैंक खाते (एसबीआई, साहिबगंज में बचत खाता) में जमा किया गया था।

(v) जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद द्वारा आकस्मिक व्यय के लिए एसी विपत्र पर ₹ 6,27,270 और ₹ 70,833 निकाले गए (क्रमशः 31.03.2016 तथा 31.03.2016) जिसमे से ₹ 2.06 लाख की राशि का उपयोग नहीं किया गया और बैंक खाते में जमा कर दिया गया।

इसी प्रकार, प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक़.) के अभिलेखों के अनुसार, 2007-08 से 2013-14 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में प्रमुख शीर्ष 2215 के तहत एसी विपत्रो के माध्यम से ₹ 3,464.73 करोड़ रुपये की निकासी की गयी थी जिसके विरुद्ध, सितंबर 2023 तक ₹ 307.04 करोड़ की राशि का डीसी विपत्र

[3] *चेक संख्या 436665 के द्वारा*

जमा किया गया था, जबकि ₹ 3,157.69 करोड़ बकाया था, जैसा कि **तालिका 4.10** में दिखाया गया है।

तालिका 4.10: लंबित डीसी विपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	ए.सी.विपत्र		जमा की गई डी.सी. विपत्र		लंबित डी.सी विपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2215	2007-08	08	2984.80	03[4]	307.04	08	2677.76
2215	2012-13	01	407.43	00	00	01	407.43
2215	2013-14	01	72.50	00	00	01	72.50
कुल		**10**	**3464.73**	**03**	**307.04**	**10**	**3157.69**

यह देखा गया कि पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्र के विरूद्ध डी.सी. विपत्र प्रस्तुत किए बिना बार-बार ए.सी. विपत्रों की निकासी की गयी। लंबी अवधि के लिए डी.सी. विपत्रों को जमा न करना एक गंभीर अनियमितता है और इसमें सार्वजनिक धन के दुरूपयोग के जोखिम की संभावना सन्निहित है।

4.8 डीसी विपत्रों का विलंब से प्रस्तुतिकरण

जेटीसी के नियम 186 और 187 में कहा गया है कि डीसी विपत्र, उप-अभिश्रव के साथ समर्थित और नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, एसी विपत्र की निकासी की तारीख से छह महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक़.) को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस अवधि की समाप्ति के बाद कोई भी एसी विपत्र भुनाया नहीं जाएगा, जब तक कि विस्तृत विपत्र जमा न किया गया हो।

नमूना-जाँच किए गए जिलों में और प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक़.) द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार, यह देखा गया कि एसी विपत्र, राशि ₹ 723.50 करोड़, अनुदान संख्या 1-कृषि, पशुपालन और सहकारी विभाग (कृषि प्रभाग) प्रमुख शीर्ष 2401, 2402 और 4402 के तहत आहरित किए गए थे। यह देखा गया कि धनराशि का उपयोग किया गया था और डीसी विपत्र 03 महीने 19 दिन से 09 साल 09 महीने 22 दिन तक की देरी से प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक़.) के कार्यालय में डीडीओ द्वारा जमा किए गए थे।, जैसा कि **परिशिष्ट 4.2** में बताया गया है।

नमूना-जाँच के दौरान, यह देखा गया कि ₹ 2.53 करोड़ में से, ₹ 1.06 करोड़ का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए इसे आहरित किया गया था और कोषागार में वापस भेज दिया गया। इसके विरूद्ध प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक़.), झारखण्ड को समायोजन हेतु डीसी विपत्र समर्पित किया गया। विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है।

[4] *आंशिक समायोजित*

4.9 वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्रों का आहरण

विनियोग अधिनियम में सन्निहित प्रावधान के अनुसार, कोषागार से आहरित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्दर किया जाना चाहिये। अग्रतर झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 में प्रावधान है कि माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदान की समाप्ति को रोकने के लिए कोषागार से कोई धनराशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिये, जब तक कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। आगे, कोषागार से मांग की प्रत्याशा में अग्रिम की निकासी कार्य के निष्पादन, जिसमें अधिक समय लगने की संभावना है, के लिए विनियोग को समयवाधिता से बचाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, मार्च के अंतिम सप्ताह में कोषागार से धनराशि आहरित करते समय, डी.डी.ओं को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि आहरित सभी धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष के अन्दर कर दिया जाएगा।

अनुदान संख्या 1-कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के लिए प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) के कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार, 2004-05 से 2017-18 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अंत में 2401, 2402 और 4402 शीर्षों के तहत, ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 239.64 करोड़ निकाले गए थे, जिसमें से ₹ 11.63 करोड़ अभी भी अपने डी.सी. विपत्र जमा करने के लिए मार्च 2023 तक लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट 4.4** में दर्शाया गया है।

4.10 स्थानीय निधियों की जमा

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, कोषागार से राशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि यह त्वरित भुगतान के लिए आवश्यक न हो।

वित्त लेखो और वाउचर स्तरीय कम्प्यूटीरीकरण (वीएलसी) आंकड़ो की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख लेखा शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों के जमा के तहत लघु शीर्षों में लेन-देन से संबंधित 204 खाते 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित थे। शेष राशि का वर्षवार विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: स्थानीय निधियों की जमा का वर्षवार विच्छेद

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2018-19	13,202.66	9,875.32	8,730.74	14,347.24
2019-20	14,347.24	10,447.62	11,088.27	13,706.59
2020-21	13,706.59	12,279.45	9,683.19	16,302.85
2021-22	16,302.85	10,246.04	11,022.02	15,526.87
2022-23	15,526.87	17,023.16	14,162.63	18,387.40

तालिका 4.11 से यह स्पष्ट है कि 2018-23 के दौरान, 2019-20 और 2021-22 को छोड़कर, व्यय प्राप्तियों के मुकाबले कम था जिसके कारण इन वर्षों में अंत शेष में वृद्धि हुई।

2022-23 के दौरान, संवितरण प्राप्तियाँ से ₹ 2.860.53 करोड़ कम था, जिससे वर्ष के अंत में शेष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आगे, उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मार्च 2023 को ₹ 18,387.40 करोड़ की एक बड़ी राशि सरकार के बजटीय नियंत्रण से बाहर थी।

आगे, झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 343 में प्रावधान है कि यदि किसी अनुदान को व्यय करने की समय सीमा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं की गयी है, तो उस राशि को उचित समय मे निर्धारित उद्देश्य पर व्यय किया जाना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अनुदान का कोई भाग तत्काल व्यय के लिए आवश्यक न हो तो उसे सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए।

जिला परिषदों के लेखाओं की नमूना-जाँच, **तालिका 4.12** में इंगित, में पाया गया कि छः प्रशासकों ने उक्त नियमों का पालन नहीं किया तथा ₹ 102.72 करोड़ की अव्ययित निधि को "8448- स्थानीय निधि जमा के तहत 109-पंचायत निकाय निधि," में तीन वर्षों से अधिक समय से अवरूद्ध रखा। अग्रतर नमूना-जाँच से पता चला कि ₹ 3.27 करोड़, जि. प., राँची (₹ 2.25 करोड़) और जि. प., पूर्वी सिंहभूम (₹ 1.02 करोड़) के खातों में पड़ा हुआ था, जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य जिला परिषद् के अधिकारियों को पता नहीं था। जिला परिषद् के अव्ययित निधि का विवरण **तालिका 4.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.12: तीन वर्षों से अधिक समय से अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	तीन वर्षों से अधिक समय से अव्ययित राशि
1	जिला परिषद्, पूर्वी सिंहभूम	1.02
2	जिला परिषद्, साहिबगंज	25.28
3	जिला परिषद्, चतरा	3.47
4	जिला परिषद्, राँची	48.08
5	जिला परिषद्, खरसावाँ	6.26
6	जिला परिषद्, गढ़वा	8.88
7	जिला परिषद्, रामगढ़	0.54
8	जिला परिषद्, जामताड़ा	0.85
9	जिला परिषद्, धनबाद	8.34
कुल		**102.72**

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लंबे समय तक लेखाओं मे पड़ी अव्ययित शेष राशि समेकित निधि में स्थानांतरित नहीं किया जाना न केवल वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था, बल्कि इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम भी शामिल था।

4.11 व्यक्तिगत जमा खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 328 से 330 में प्रावधान है कि जहाँ लोकहित में अधिक व्यय की आवश्यकता हो जो सामान्य कोषागार पद्धति द्वारा संभव नहीं हो सरकारी सेवक द्वारा विशेष मामलों में व्यक्तिगत जमा (पी.डी.ए.) खाते का उपयोग किया जा सकता है। वित्त विभाग की सहमति तथा महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा अधिकृत किये बिना कोषागारों में कोई व्यक्तिगत जमा खाते (पी.डी.ए.) नहीं खोले जा सकते हैं। वित्त विभाग प्राधिकार पत्र में एक तारीख निर्दिष्ट करता है जिसके लिए खाता को खोला जाना है। ऐसी तारीख की समाप्ति के पश्चात्, कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (ले. व हक.) की पूर्व अनुमति के बिना खाते को बंद कर देता है। खाताधारक जैसे कि लेखे का प्रशासक, वित्त विभाग के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) को सूचित करते हुए कोषागार पदाधिकारी द्वारा खाते को बंद करते समय बकाया राशि सम्बंधित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।

वित्त विभाग ने सभी जिलों के कोषागार पदाधिकारियों को जिला भू-अर्जन अधिकारियों के नाम से दिसम्बर 2019 में पी.डी. खाते खोलने के निर्देश दिये। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निधि जमा करने के लिए 24 पी.डी. खाता खोले गए। ये सभी खाते चालू अवस्था में हैं और वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 2,018.13 करोड़ की प्रारंभिक शेष में ₹ 850.24 करोड़ की राशि जोड़ी गई थी। इन पी.डी. खातों में कुल जमा राशि में से वर्ष के दौरान ₹ 499.58 करोड़ का वितरण किया गया और वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 2,368.79 करोड़ की राशि खातों में शेष रह गयी।

4.12 लघुशीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

'अन्य प्राप्तियों' और 'अन्य व्यय' से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है।

47 मुख्य शीर्षों में कुल प्राप्तियों ₹ 80,245.22 करोड़ में से ₹ 2,324.60 करोड़ (2.90 प्रतिशत) लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत बुक किया गया। आगे, जैसा कि **तालिका 4.13** में दर्शाया गया है, वर्ष 2022-23 दौरान ₹ 1,471.33 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 1,451.98 करोड़ की राशि 14 मुख्य शीर्ष में लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत बुक किए गए थे, जो 81 प्रतिशत से अधिक थे।

तालिका 4.13: वित्तीय वर्ष के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियाँ' के अधीन दर्ज किए गए महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्ति	'800' में बुक किया गया	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
1.	0059	लोक निर्माण	13.84	13.84	100
2.	0075	विविध सामान्य सेवा	1,171.73	1,171.73	100
3.	0215	जलापूर्ति एंव स्वच्छता	9.54	9.49	99
4.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	51.08	45.29	89
5.	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	81.11	81.11	100
6.	0425	सहकारिता	4.39	3.64	83
7.	0515	अन्य ग्रामीण विकास	17.20	14.01	81
8.	0700	मुख्य सिंचाई	35.70	35.70	100
9.	0701	मध्यम सिंचाई	43.06	39.50	92
10.	0702	लघु सिंचाई	5.60	5.60	100
11.	0801	ऊर्जा	0.46	0.46	100
12.	1054	सड़क एवं पुल	44.58	40.61	91
13.	1456	जन आपूर्ति	19.65	19.65	100
कुल			**1,497.94**	**1,480.63**	**99**

4.13 जमा, प्रेषण, उचंत तथा ऋण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

उचंत शीर्ष तब संचालित किए जाते हैं जब सूचना की प्रकृति की कमी या अन्य कारणों से प्राप्तियों और भुगतानों के लेन-देन खाते के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किये जा सकते हैं। इन लेखा शीर्षों को अंततः नकारात्मक डेबिट या नकारात्मक क्रेडिट द्वारा निष्पादित किया जाता है, जब उनके अंतर्गत राशियों को उनके संबंधित अंतिम लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में उचंत शेष राशि का असमायोजन उस वर्ष के सरकार की प्राप्तियों और व्यय के सटीक प्रतिबिम्ब पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। राज्य के उचंत शेषों और प्रेषण शेषों की स्थिति क्रमशः **तालिका 4.14** और **तालिका 4.15** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 4.14: उचंत शीर्ष- 8658 के तहत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष के नाम	2020-21		2021-22		2022-23	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	437.28	438.51	557.75	557.26	694.40	696.42
निवल	**क्रेडिट 1.23**		**डेबिट 0.49**		**क्रेडिट 2.02**	
102- उचंत लेखा (सिविल)	41.87	40.83	93.21	122.57	174.66	181.52
निवल	**डेबिट 1.04**		**क्रेडिट 29.36**		**क्रेडिट 6.86**	

तालिका 4.15: प्रेषण शीर्ष- 8782 के अंतर्गत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2020-21		2021-22		2022-23	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102- पी.ड्ब्ल्यू. प्रेषण	55,208.80	55,332.72	62,735.61	62,817.53	71,182.33	71,254.68
निवल	क्रेडिट 123.92		क्रेडिट 81.92		क्रेडिट 72.35	
103- वन प्रेषण	2,394.30	2,404.06	3,035.51	3,078.97	4,024.04	4,039.04
निवल	क्रेडिट 9.76		क्रेडिट 43.46		क्रेडिट 15.01	

स्रोत: झारखण्ड सरकार का वित्त लेखे

इन शीर्षों के तहत शेष राशि के निहितार्थ नीचे बताए गए हैं:

• वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत

इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष उन भुगतानों का प्रतिनिधित्व करता है, जो केन्द्र सरकार के विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) झारखण्ड द्वारा भुगतान निष्पादित किए गए, जिसका किया जाना अभी शेष है। बकाया क्रेडिट शेष राज्य सरकार की ओर से पी.ए.ओ. द्वारा किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) के द्वारा अभी तक समायोजित करना बाकी है। यह देखा गया कि निवल शेष 2021-22 में डेबिट शेष ₹ 0.49 करोड़ से बदलकर 2022-23 में ₹ 2.02 करोड़ क्रेडिट शेष हो गया। इस शीर्ष (₹ 2.02 करोड़) के तहत शुद्ध क्रेडिट शेष के निपटान पर, राज्य सरकार का नकद शेष इस स्तर तक घट जाएगा।

• उचंत लेखा (सिविल)

इस लघु शीर्ष का उपयोग प्राप्तियों (क्रेडिट) तथा होने वाले व्यय (डेबिट) को बुक करने के लिए किया जाता है, जो प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित की जाती है। इस मद के निष्पादन पर नकद शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान इस उचंत शीर्ष के तहत निवल शेष राशि ₹ 29.36 करोड़ के डेबिट से ₹ 6.86 करोड़ के क्रेडिट बीच दोलित रहा।

अधिकारियों तथा लेखा अधिकारियों के खातों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन की समीक्षा से पता चला कि मार्च 2023 के अंत में ₹ 87.36 करोड़ की क्रेडिट शेष पारगमन में था।

4.14 विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन

बजट अनुदानों के अन्दर व्यय पर प्रभावी नियंत्रण और उनके लेखाओं की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभागों के नियंत्रक अधिकारियों को सक्षम बनाने हेतु राज्य वित्तीय नियम निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी बही खातों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय को प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की बही खातों में दर्ज आंकड़ों से प्रत्येक माह समाशोधित किया जाना चाहिए।

बजट नियमावली के नियम 134 में यह अपेक्षित है कि व्यय एवं प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए नियंत्री अधिकारी को मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की बही खातों के साथ विभागीय लेखाओं का मिलान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) बजट नियंत्रण अधिकारियों को झारखण्ड बजट नियमावली की आवश्यकताओं पर प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की पुस्तकों के साथ प्राप्तियों और व्यय के मासिक और त्रैमासिक आंकड़ों का मिलान करने के लिए बारम्बार कहते रहे।

प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की पुस्तकों के साथ राज्य की प्राप्तियों और संवितरण के असमाशोधन की नियमित रिपोर्टिंग के बाद, यह बदलाव देखा गया कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा जहाँ राज्य की कुल प्राप्ति के 99 प्रतिशत से अधिक और कुल व्यय कारीब 96 प्रतिशत प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की बही खातों के साथ समाशोधित किया गया था।

चूंकि, राशि का मिलान वार्षिक लेखाओं में प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का उचित आश्वासन प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है, अतः 100 प्रतिशत समाशोधन किया जाना चाहिए। समाशोधन की वर्षवार स्थिति **चार्ट 4.3** में दर्शाई गई है।

चार्ट 4.3: 2020-21 से 2022-23 के तीन वर्षों के दौरान समाशोधन की स्थिति

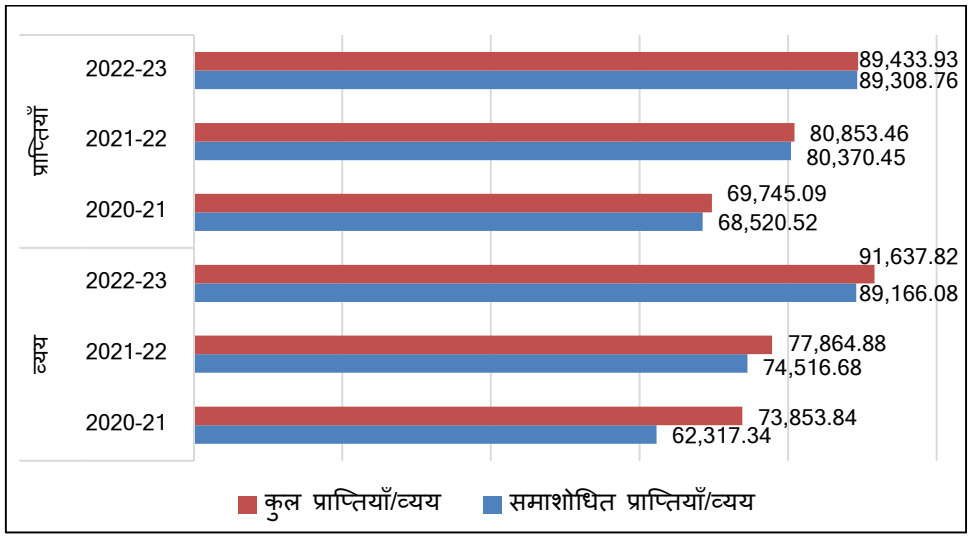

4.15 नकद शेष का समाशोधन

प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) के बही खातों में दर्ज राज्य के नकद शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों {₹ 91.07 करोड़ (डेबिट)} और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों {₹ 95.29 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 186.36 करोड़ (निवल डेबिट) का अंतर था। वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 186.36 करोड़ (निवल डेबिट) के

अंतर को प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा समाशोधन और आवश्यक सुधार के लिए आर.बी.आई. राँची से संपर्क किया गया है।

4.16 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, संघ और राज्यों के लेखों के प्रारूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित कर सकते हैं। आगे, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सरकारी लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने, जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.एस.ए.बी.) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं।

तालिका 4.16: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	**आई.जी.ए.एस.-1** सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ - प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	इस मानक का उद्देश्य संघ, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (विधान सभा सहित) द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में इस तरह की गारंटियों को एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरन मानदंड निर्धारित करना है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा के विवरणी-9 और 20)	कोई कमी नहीं
2.	**आई.जी.ए.एस-2** सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	इस मानक को अनुदानग्राही के साथ साथ अनुदानदाता (गारंटर) के रूप में सरकार के वित्तीय विवरणी में सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांत निर्धारित करना है। यह मानक सरकार के वित्तीय विवरणी में उचित माध्यम से सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के उचित सिद्धांतों के निर्धारण का लक्ष्य रखता है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 10)	कोई कमी नहीं
3.	**आई.जी.ए.एस.-3** सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम	इस मानक का उद्देश्य पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने तथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा इनके अपने वित्तीय विवरणों में लिए गए ऋण और अग्रिमों की मान्यता, माप, मूल्यांकन और प्रतिवेदन के मानदंडों को दिखाना है।	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 7 एवं 18) प्रचलित और असाधारण लेन-देन में ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण के मामलों के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया था।	अतिदेय ऋणों की वास्तविक राशि और समय, जब तक ऋण का भुगतान किया जाना है, सुनिश्चित नहीं हो सका।

4.17 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक, लोकहित में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने का अनुरोध सीएजी से कर सकते हैं, और जहाँ इस तरह का

अनुरोध किया गया है, सी.ए.जी. को ऐसे निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के परे, जहाँ किसी भी प्राधिकरण या निकाय के खातों का लेखापरीक्षा किसी कानून के तहत अथवा द्वारा सीएजी को नहीं सौंपा गया है, वह, यदि इस प्रकार का अनुरोध राष्ट्रपति द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा या विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया गया हो, तो ऐसे निकाय या प्राधिकरण को खातों/लेखों का लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों पर करेगा जैसा कि उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हुई हो, और इस तरह के लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, उस निकाय या प्रधिकरण की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा (धारा 20)।

निकाय या प्राधिकरणों के बकाया लेखे

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (डी.पी.सी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के लेखापरीक्षा के तहत राज्य में 11 प्रतिवेदित स्वायत निकायों से संबंधित लेखा, प्रस्तुत करने के लिए देय खातों की संख्या और लेखापरीक्षा की स्थिति का प्रस्तुतीकरण से संबंधित विवरण **तालिका 4.17** में दिया गया है।

तालिका 4.17: लेखा के प्रस्तुतीकरण का विवरण और स्वायत निकायों के लेखापरीक्षा की स्थिति

क्र सं.	निकाय/प्रधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	2022-23 तक लंबित लेखों की संख्या	अभी तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2022-23	शून्य	2018-19	सूचित नहीं किया गया	एस.ए.आर. वर्ष 2019-20 से 2022-23 अवधि के लिए प्रक्रियाधीन है।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी)	2011-12	11	2011-12	03.03.2014	लेखे का प्रारूप तथा निधि नियम के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण लेखे का लेखापरीक्षा रोक दिया गया।
3	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एस.एच.ए.जे.)	2020-21		2020-21	सूचित नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट के बाद, लेखापरीक्षा पूरा किया गया और एस.ए.आर. वर्ष 2011-12 से 2020-21 अवधि के लिए 26 नवम्बर, 2021 को जारी किया गया।
4	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2002-03 से 2009-10	13	2002-03 से 2009-10	सूचित नहीं किया गया	2010-11 की अवधि के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त नहीं किया गया।
5	राष्ट्रीय अध्ययन एवं विधि अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन.यू.एस. आर. एल.), राँची	2016-17	6	2010-11 और 2016-17 के लिए लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है।		

क्र सं.	निकाय/प्रधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	2022-23 तक लंबित लेखों की संख्या	अभी तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
6	बिरसा कृषि विश्व विद्यालय	2007-08 से 2010-11	12	बैलेंस शीट जमा नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा शुरू नहीं हो सकी।		
7	झारखण्ड हाउसिंग बोर्ड, राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	22	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
8	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण	2015-16	7	वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक के लिए वार्षिक लेखा अगस्त 2023 में प्राप्त हुए और संवीक्षाधीन है।		
9	झारखण्ड अक्षय उर्जा विकास एजेंसी	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	7	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
10	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास), राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।			
11	बाबा बैद्यनाथ धाम- बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	29.11.2022 को पाँच लेखांकन वर्षों के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त हुआ। लेखाओं की प्रतीक्षा है।			

सक्रिय अनुनय के बावजूद, झालसा के लेखापरीक्षित लेखे के संबंध में एस.ए.आर. के उपस्थापन संबंधित जानकारी सूचित नहीं की गई है।

4.18 निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण

निकायों एवं प्राधिकरणों जिन्हें समेकित निधि से ऋणों या अनुदानों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है या जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। अभी तक, राज्य में 77 ऐसे प्रतिवेदित निकाय एवं प्राधिकरण हैं।

संवीक्षा से पता चला कि 77 निकायों/प्रधिकरणों में से, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने सितम्बर 2023 तक अपने अद्यतन खाते प्रस्तुत नहीं किए, जबकि चार[5] निकायों/प्राधिकरणों ने शुरूआत से अपना लेखा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया। 73 निकायों एवं प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा पूरा कर लिया गया है जैसा कि **परिशिष्ट 4.5** में वर्णित है।

आगे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के तहत सरकार/ विभागाध्यक्ष को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है:

[5] *(i) झारखण्ड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद (ii) कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड (iii) सरकारी प्रेस (iv) वन विकास प्राधिकरण*

- विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई है, और
- संस्थानों का कुल व्यय

हालाँकि, राज्य के किसी भी विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सितम्बर 2023 तक ऐसा कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया था।

4.19 दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 31 में उल्लेखित है कि गबन या अन्य प्रकार से लोक धन, सरकारी राजस्व भंडारों या अन्य सम्पत्ति के नुकसान के बारे में कार्यालय द्वारा उच्चतर अधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कर दी गई हो तो भी इसे सूचित करना अपेक्षित है। जैसे ही संदेह होता है कि हानि हुई है, ऐसी सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा पूछताछ के आधार पर विलम्ब नहीं की जानी चाहिए। प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय को कोई सूचना अग्रेषित नहीं की गई है।

4.20 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, पी.ए.सी./वित्त विभाग को विधान मण्डल में प्रतिवेदन के उपस्थापन के एक महीने के भीतर सम्बंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत कंडिका पर एक स्वप्रेरित व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है। संबंधित विभागों को प्रतिवेदन उपस्थापन के तीन महीने के भीतर महालेखाकार को (पी.ए.सी. को विवीक्षा एवं अग्रतर संचरण हेतु) की गई कार्रवाई पर टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011-12 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.4.4 में प्रावधानों से आधिक्य व्यय ₹ 8,120.12 करोड़ (पिछले वर्षों से संबंधित) को लेखांकित किया गया था जिसको राज्य विधानमंडल द्वारा लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की सिफारिश पर विनियमित (13.01.2014) किया गया था। उस तारीख के बाद प्रावधानों पर किसी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया, क्योंकि इस संबंध में पी.ए.सी. द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित अन्य कोई कंडिका पर सितम्बर 2023 तक लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की गयी।

4.21 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, ₹ 1,16,153.09 करोड़ राशि के 43,469 उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.प.) महालेखाकार (ले. व हक.) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे।

31 मार्च 2023 तक ₹ 6,114.71 करोड़ की राशि के 18,215 ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्र महालेखाकार (ले. व हक.) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे।

4.22 अनुशंसाएँ

- *वित्त विभाग को निर्धारित समय सीमा के अन्दर लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (उ.प्र.प.) को जमा करने के लिए पहल करनी चाहिए। अनुदान जारी करने वाले प्रशासनिक विभाग को अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक समय से लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को एकत्रित करने के लिए ज़िम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यतिक्रमी अनुदानग्राही को आगे अनुदान जारी नहीं हो। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की पहल करनी चाहिए, जो उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत न करते हों।*

- *वित्त विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर लंबित सभी एसी विपत्र को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें, और यह भी सुनिश्चित करें कि एसी विपत्र केवल बजट की व्यपगतता से बचने के लिए नहीं निकाले जाएँ।*